# राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

क्रमांकः रा.खा.ग्रा.बो. / प्रशिक्षण / 2022–23 / 8833884 दिनांकः– 26/12/2022

## ई–निविदा सूचना क्रमांक 2022–23 / 12 & 13

Bids for (1) Supply of 8 spindle New Modal Charkha estimated value Rs. 108.00 lacs & (2) Supply of Semi Automatic Paddle Loom with 60" Reed Space/Workable width with Installation estimated value Rs. 185.00 lacs are invited from interested bidders upto 12.30 PM dated 16.01.2023. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc. rajasthan.gov.in,http://sppp.raj.nic.in) of the state.

UBN : 1. KVI202223GLOB00012

2. KVI202223GLOB00013

**Secretary** 26/12/22

Training.N.M/ Tender2021-22/1

# राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रग)
गोकुलभाई भट्ट स्मृति भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302017
Ph.No.0141-2705197-200, Fax No.0141-2706510
, Email : khadijpr@rajasthan.gov.in

क्रमांकः / रा.खा.ग्रा.बो. / प्रशिक्षण /2022-23/883 दिनांकः-26/12/2022

## ई–निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 12

सचिव राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार की रजिस्टर्ड संस्थाओं/समितियों से 8 Spindle न्यू मॉडल चरखा राजस्थान के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों/स्थानों पर आपूर्ति हेतु निम्नांकित विवरण अनुसार ई–बोली आमंत्रित की जाती है।

| क्रम संख्या | कार्य का विवरण | अनुमानित अधिकतम सभी कर सहित लागत (रु.) | बिड सिक्योरिटी (रु.) | बिड प्रपत्र शुल्क (रु.) | प्रोसेसिंग शुल्क (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Supply of 8 spindle New Modal Charkha no. 540 (Five Hundred Forty) at Various locations in Rajasthan | 108.00 लाख | 2,16,000/– | 1180/– | 1000/– |

| | |
|---|---|
| ई–बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि व समय | 26.12.2022 समय– 5:00 PM |
| प्री–बिड मीटिंग तिथि, समय व स्थान | 03.01.2023 समय– 3:00 PM बोर्ड कार्यालय |
| ई–बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय | 16.01.2023 समय– 12:30 PM |
| बोली प्रपत्र शुल्क, बिड प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर्स चैक भौतिक रूप से (Physically) बोर्ड कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय | 16.01.2023 समय– 12:30 PM |
| तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय | 16.01.2023 समय– 03:00 PM |
| चरखा आपूर्ति की समय अवधि | आपूर्ति आदेश से 90 दिवस |

ई–बिड प्रपत्र वेबसाइट https://www.SPPP.raj.gov.in. से डाउनलोड किया जा सकता है एवं www.eproc.raj.gov.in. पर भी देखा जा सकता है। बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के डी.डी./बैंकर्स चैक, डी.डी. अथवा बैंकर चैक, जो Scretary, Rajasthan Khadi & Village Industries Board, (Payable at Jaipur) के नाम तथा प्रोसेसिंग शुल्क जो Managing Director, RISL, Jaipur (Payable at Jaipur) के नाम देय हो, की स्केन की हुई प्रति ई–बोली के साथ अपलोड करना एवं दिनांक 16.01.2023 को दोपहर 12:30 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) जमा करना आवश्यक है।

सचिव
(राज. खादी तथा ग्रामो. बोर्ड)
जयपुर।

ई–टेन्डरिंग के लिए बोलीदाताओं हेतु निर्देश :–

1. बिड प्रपत्र वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बोलीदाताओं द्वारा बिड इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन जमा करानी होगी।
2. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को इंटरनेट साईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीयन (Registration) करवाना होगा। ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (टाईप II या टाईप III) सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act 2000) के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक बोली में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाताओं को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर सहित नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगे।
3. इलेक्ट्रोनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की सुस्पष्ट स्केन की हुई प्रतियां बिड प्रपत्रों के साथ ऑनलाइन संलग्न की जाऐगी।
4. कोई भी बोलीदाता बिड को इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब करता है, तो उसकी जिम्मेदारी सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर की नहीं होगी। अतः बोलीदाता उचित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बोलियां प्रस्तुत करें।
5. ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करते समय बोली प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिये सचिव, राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
6. टेलीग्राम/ फेक्स/ ई–मेल/भौतिक रूप से प्रस्तुत की गई बिड मान्य नहीं होगी।
7. सशर्त बिड मान्य नहीं होगी। बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों एवं स्पेसिफिकेशन्स से भिन्नता (डेवीएशन) वाली बिड मान्य नहीं होगी।

बिड की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार हैं :–

1. एक निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदा/बिड प्रस्तुत करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
2. बोलीदाता/करारकर्ता को भारत के करार एवं कर सम्बन्धी समस्त कानूनों का पालन करना अनिवार्य है।
3. प्रस्तुत की जाने वाली दरें तार्किक एवं संतुलित होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त करने का अधिकार सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
4. ऑनलाइन तकनीकी बिड इस कार्यालय में दिनांक 16.01.2023 को मध्याह्न पश्चात् 03:00 बजे खोली जायेंगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले कार्यदिवस को उसी समय पर तकनीकी बिड खोली जायेंगी।



मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर

(प्रहलाद सिंह नरूका)
लेखाधिकारी

राजकुमार खन्ना
प्रभारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जयपुर

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज खादी तथा ग्रामो बोर्ड
जयपुर

5. बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बोली द्वि भाग (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) होगी।

6. बोली दस्तावेजों एवं कार्यविवरण के स्पष्टीकरण हेतु प्री–बिड मिटिंग का आयोजन कार्यालय सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर में दिनांक 03.01.2023 को 03.00 पी.एम. बजे सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर मीटिंग हाल मे किया जायेगा।

7. निविदादाता अपनी दरें BOQ.XLS प्रपत्र (वित्तीय निविदा) में ही प्रस्तुत करें।

8. वित्तीय निविदा के लिए, निविदादाताओं द्वारा निविदा के एक भाग के रूप में वेबसाइट पर अपलोड BOQ.XLS फाईल को डाउनलोड करना होगा और उक्त टेम्पलेट में बिना कोई संशोधन किए वांछित Cells में विवरण भरना होगा। अगर निविदादाता द्वारा डाउनलोड की गई फाईल में कोई संशोधन करके या छेडछाड करके उस फाईल को अपलोड किया जाता है तो ऐसी स्थिती में निविदादाता फर्म को निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

9. यदि बिड खोलने की तिथि को किसी तकनीकी कारणवश ऑनलाइन प्राप्त समस्त बिड नहीं खोली जाती हैं, तो अगले कार्य दिवस को शेष बिड खोलने का कार्य अनवरत रखा जायेगा।

10. तकनीकी आकलन में सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने की दिनांक एवं समय की सूचना ऑनलाइन/ई–मेल द्वारा दी जायेगी।

11. दो या अधिक निविदादाता की दरों में बराबरी (Tie in prices) की स्थिति में जिस फर्म के पास तकनीकी निविदा प्रपत्र अनुसार अधिक अनुभव होगा वह फर्म अन्तिम रूप से एल–1 मानी जाएगी।

12. बोलीदाता द्वारा बिड प्रपत्र शुल्क बिड प्रतिभूति एवं प्रक्रिया शुल्क हेतु मूल डी.डी./ बैंकर चैक भौतिक रूप में (Physically) राजस्थान सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर में दिनांक 16.01.2023 को दोपहर 12.30 बजे तक बन्द लिफाफे में जिस पर ''सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के लिये Supply of 8 spindle New Modal Charkha at Various Locations in Rajasthan 540 Nos. हेतु निविदा'' तथा बोलीदाता का नाम व पता स्पष्ट अंकित किया हुआ हो, जमा करवाना आवश्यक है। जिन बोलीदाताओं द्वारा उक्त दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाये जायेंगे उन्हीं बोलीदाताओं की बिड ऑनलाइन खोली जायेंगी। शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र.सं. | शुल्क विवरण | राशि | भुगतान का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1. | बोली प्रपत्र शुल्क | 1180/– | डी.डी. अथवा बैंकर चैक, सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (Payable at Jaipur) के नाम |
| 2. | बिड प्रतिभूति | 216000/– | डी.डी. अथवा बैंकर चैक सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (Payable at Jaipur) के नाम |
| 3. | ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) शुल्क | 1000/– | डी.डी. अथवा बैंकर चैक, Managing Director, RISL, Jaipur (Payable at Jaipur) के नाम |

13. प्रदत्त दरें बिड खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेंगी। यदि बोलीदाता उस अवधि में अपनी बिड अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बिड वापस ले लेता है तो उसकी बिड प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी।

14. तकनीकी बिड प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र, दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है :–

15. बोली प्रपत्र शुल्क/बिड प्रतिभूति/ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) शुल्क के बैंकर्स चैक/डी.डी. की स्कैन की हुई प्रति। वित्तीय बिड (BOQ) की प्रति संलग्न नहीं करनी है। वित्तीय बिड को तकनीकी बिड में शामिल करने पर निविदादाता की निविदा बोली निरस्त कर दी जाएगी। दरें



मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर

(प्रहलाद सिंह नरूका)
लेखाधिकारी

राजकुमार खन्ना
प्रभारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जयपुर

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज खादी तथा ग्रामो बोर्ड
जयपुर

केवल वित्तीय बिड (BOQ) में प्रस्तुत करनी हैं जो ऑनलाईन BOQ में भरी जा सकेंगी। दरें केवल भारतीय रूपये (INR) में प्रस्तुत की जानी हैं।

(I) तकनीकी बोली प्रपत्र मय समस्त अनुलग्नक।

(II) डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त बोली की शर्तें (अपूर्ण भरे हुये टेण्डर–प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं निरस्त कर दिये जायेंगे)।

(III) आयकर स्थायी खाता संख्या (PAN Card) की सुस्पष्ट प्रति।

(IV) जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(V) निविदादाता खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा न्यू मॉडल चर्खा निर्माण एवं आपूर्ति हेतु इमपैनल्ड होना आवश्यक है।

(VI) फर्म द्वारा अन्य फर्म को कार्य सब–लेट नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न करना होगा।

(VII) Annexure-A के अनुसार फर्म किसी भी अन्य राज्य में संस्था द्वारा Supply of 8 spindle New Modal charkha के संबंध में ब्लैक लिस्टेड नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र (राशि रुपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर)।

16. **सफल बोलीदाता को बोर्ड कार्यालय में कार्यादेश के पूर्व भौतिक रूप से एक चर्खे का नमूना प्रस्तुत करना होगा जिसको कमेटी द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही कार्यादेश दिया जावेगा एवं बोलीदाता कों स्वीकृत नमूने के अनुसार आपूर्ति करनी होगी।**

17. **न्यूनतम सफल बोलीदाता की दरों पर अन्य तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं को भी उपापन समिति द्वारा आनुपातिक रूप से आपूर्ति आदेश RTPP नियम 74 के अनुसार दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।**

18. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार, सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पास सुरक्षित होंगे।

19. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र या कोई अन्य त्रुटि पाये जाने बोली को रद्द करने का अधिकार सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को होगा।

20. बिड की शर्तों एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में विरोधाभास पाये जाने पर अथवा बोलीप्रपत्र में किसी शर्त या नियम या प्रावधान के अवर्णित पाए जाने की स्थिति में अधिनियम व नियमों में दिये गए प्रावधान ही प्रभावी माने जायेंगे एवं RTPP Rules 2013 के नियम 73 (1) (ख) के अनुसार आपूर्ति की शर्तें लागू होगी।

21. राजस्थान सरकार के सा.वि. एवं लेखा नियम एवं बिड के विषय से सम्बन्धित अन्य समस्त नियम एवं एक्ट भी लागू माने जायेंगे।

22. बोली प्रतिभूति (बिड सिक्योरिटी ) :

I. बिड के साथ बिड सूचना के अनुसार बिड प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत की दर से प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि



मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर

(प्रहलाद सिंह नरुका)
लेखाधिकारी

राजकुमार खन्ना
प्रभारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जयपुर

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज खादी तथा ग्रामो. बोर्ड
जयपुर

सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पक्ष में देय बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा जमा करायी जाये।

II. बिड प्रतिभूति का प्रतिदायः असफल बोलीदाताओं की बिड प्रतिभूति बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार कर सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध निष्पादित करने के बाद लौटायी जाएगी।

III. बिड प्रतिभूति से छूट उन फर्मों को, जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र य उसकी फोटो स्टेट प्रति, जो विधिवत अनुप्रमाणित हो, प्रस्तुत करने पर बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए बोली के अनुमानित मूल्य की 0.5 (आधा) प्रतिशत की दर पर बिड प्रतिभूति जमा करानी होगी। रूग्ण उद्योगों की दशा में (एस. एस. आई. से भिन्न) जिनके मामले औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।

IV. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बिड प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बिड के साथ बिड प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

<u>23.</u> बोली प्रतिभूति का समपहरण; बोली प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगाः–

I. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत उपान्तरित करता है।

II. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

III. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

IV. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/कर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

V. यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

<u>24.</u> कार्य सम्पादन प्रतिभूति :

I. सफल बोलीदाता को दर स्वीकृति की सूचना का पत्र जारी होने की दिनांक से सात दिन या अवधि के भीतर सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के नाम देय डी. डी./बैंकर्स को द्वारा जिन कार्यों के लिए बोली स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराकर नियमानुसार विनिर्दिष्ट मूल्य के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

II. राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगम, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व का नियंत्रण या



(प्रहलाद सिंह नरूका)
लेखाधिकारी

मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर

राजकुमार खन्ना
प्रभारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जयपुर

वित सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज खादी तथा ग्रामो बोर्ड
जयपुर

प्रबन्ध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे। तथापि, इनको एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

III. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाप की रकम 1 प्रतिशत और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (BIFR) के समक्ष लम्बित है, के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रदाय आदेश की रकम का 2 प्रतिशत होगी कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट प्राप्त करने के लिए इन फर्मों को पंजीयन की विधियत अनुप्रमाणित प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

IV. बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।

V. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

VI. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी।

I. ई.जी.आर.ए.एस. (E-govt Receipt Accounting System) के माध्यम से जमा।

II. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक।

III. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्पबचत प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।

IV. किसी अनुसूचित बैंक गांरटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित कराई जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गांरटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि कराई जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गमी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधान के लिए पात्र नहीं रह गया है।

V. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (FDR)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियम जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी की बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को सम्बन्धित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समय पूर्व संदाय करने का



(प्रहलाद सिंह नरूका)

मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (प्राविधान)
... ग्रामो. बोर्ड जयपुर

राजकुमार ...
प्रभारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जयपुर

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज खादी तथा ग्रामो बोर्ड
जयपुर

वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

VI. ई.जी.आर.ए.एस. से इतर प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वांरटी बाध्यताओं और रख–रखाव और दोषदायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदागत बाध्यताओं को पूरा होने की तारीख से परे 90 दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहनी चाहिए।

VII. संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि संवेदक के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं हैं, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा। सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त राशि में से संवेदक की कोई बकाया राशि या पैनल्टी बकाया होगी तो भुगतान के समय काट ली जायेगी।

VIII. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः कार्य सम्पादन प्रतिभूति को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगाः

(1) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(2) जब बोलीदाता सम्पूर्ण माल/सेवा सन्तोषजनक ढंग से प्रदाय करने में असफल रहा हो।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता प्राधिकार/अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

<u>25.</u> करार (Agreement) का निष्पादन :

I. सफल बोलीदाता को उसकी बोली स्वीकृत होने की सूचना दिए जाने के 07 दिवस की भीतर नियमानुसार अवधि के भीतर नियमानुसार विनिर्दिष्ट मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल करार निष्पादित करना होगा।

II. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प शुल्क का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा उस करार पत्र की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत/छायाप्रति को निःशुल्क दी जायेगी।

III. यदि बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि (07 दिवस के भीतर में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर सफल बालीदाता के विरुद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा। सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर ऐसे में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगा या न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले या सर्वाधित लाभप्रद दर की बोली वाले को स्वीकृति प्रस्ताव दे सकेगा।



(प्रहलाद सिंह नरूका)
लेखाधिकारी

मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर

राजकुमार खन्ना
प्रभारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जयपुर

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज खादी तथा ग्रामो बोर्ड
जयपुर

26. भुगतान (Payment):– सफल निविदादाता/संस्था द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य निष्पादित कर बिल 3 प्रतियों में मय आवश्यक दस्तावेज बोर्ड कार्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा संबंधित प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण/भौतिक सत्यापन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार भुगतान जारी किया जायेगा।

27. जो बोलीदाता तकनीकी बिड में सफल पाये जायेंगे उन्ही बोलीदाताओं की वित्तीय बिड वेबसाइट पर खोली जायेंगी। तकनीकी बिड में सफल/असफल बोलीदाताओं को ऑनलाइन सूचित किया जायेगा।

28. सत्यनिष्ठ संहिता (Code of Integrity) एवं हित का विरोध (Conflict of interest) के सम्बन्ध में RTPP Rules 2013 के नियम 80 व 81 के प्रावधान लागू होगें।

29. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंगः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।

30. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकारों द्वारा मामले को सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को भेजा जाएगा एवं उस विवाद के लिए सचिव राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार या प्रदायक द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

31. (i) उपापन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया से की जा सकेगी।

(ii) प्रथम अपील अधिकारी अध्यक्ष, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर राजस्थान तथा द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, एम.एस.एम.ई. हैं।

32. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–II राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में वर्णित सभी शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।

**सचिव**
**राज. खादी तथा**
**ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर**

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानीपूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

**हस्ताक्षर बोलीदाता**
**नाम :......................**

राजकुमार खन्ना
प्रभारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जयपुर

(प्रह्लाद सिंह नरूका)
लेखाधिकारी

मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज खादी तथा ग्रामो बोर्ड
जयपुर

## तकनीकी बोली प्रपत्र

Supply of 8 spindle New Modal Charkha at Various Locations in Rajasthan बिड हेतु तकनीकी प्रस्ताव

(बिड के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण)

फर्म का नाम व पता : ................................................................................................

................................................................................................................................

ई–मेल ................................................................................................................

मोबाईल नं ..........................................................................................................

| क्र.सं. | दस्तावेज का विवरण | बिड के प्रस्तावों में संलग्न पृष्ठ सं |
|---|---|---|
| 1 | बोलीदाता का गत 5 वितीय वर्षो में किन्ही 3 वर्ष का टर्नओवर राशि रू. 1.08 करोड होना आवश्यक है। सी.ए. द्वारा विगत 5 वर्षों का ऑडिटेड रिपोर्ट के साथ बेलेन्स शीट की प्रमाणित प्रति। वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 व 2021–22 | |
| 2 | खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा न्यू मॉडल चर्खा निर्माण एवं आपूर्ति हेतु इमपैनल्ड होना आवश्यक है। (प्रमाण–पत्र संलग्न) | |
| 3 | 8 spindle New Modal Charkha at Various Locations in Rajasthan Specifications Annexure-A के अनुसार | |
| 4 | बिड दस्तावेज की लागत का 1180 रुपये का डीडी डी.डी नम्बर .................................. दिनांक ............... | |
| 5 | बिड प्रतिभूति राशि रू. 2,16,000.00 का विवरण डी.डी नम्बर ................... दिनांक ................... | |
| 6 | प्रोशेसिंग शुल्क Rs- 1000/– मैनेजिंग डार्यरेक्टर RISL (Payable at Jaipur) डी.डी./बैंकर चैक डी.डी. नम्बर ................ दिनांक ............... | |
| 7 | पेन नं ............................ | |
| 8 | जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र | |
| 9 | फर्म ब्लैक लिस्ट नहीं है का शपथ पत्र Annexure-B | |
| 10 | कार्य को सब–लैट नहीं करने का शपथ पत्र। (फर्म के लेटर–हैड पर) | |
| 11 | बोलीदाता द्वारा विगत 5 वर्षों में भारत वर्ष के किसी भी राजकीय उपक्रम/खादी संस्था/समितियों में कम से कम 100 चर्खे आपूर्ति का अनुभव हो एवं आपूर्ति के आदेशों की प्रति। | |
| 12 | 2 वर्ष की वारन्टी का शपथ–पत्र स्टाम्प 100/– | |

(प्रहलाद सिंह नरूका)
लेखाधिकारी

मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर

राजकुमार खन्ना
प्रभारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जयपुर

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज खादी तथा ग्रामो बोर्ड
जयपुर

- फर्म द्वारा किये जाने वाला कार्य Annexure A के अनुसार ही है।
- इस बोली के संबंध में बोली प्रपत्र एवं समस्त शर्तें मेरे हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली गई हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप शर्त प्रपत्र एवं बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैं/हम उन समस्त शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं। मैं/हम ऐसे करों को संदत्त करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, अपनी बाध्यता की पूर्ति करूंगा/करेंगे।
- मैं/हम दिवालिया रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हुआ हूँ/हुए हैं या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ/रहे हैं, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखूँगा/रखेंगे, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखूँगा/रखेंगे औरन पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होंगे।
- मैं/हम ऐसे हित, जो पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किए गया है, के प्रति कोई विरोध नहीं रखूँगा/रखेंगे, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप से प्रभावित करे।
- चरखों की आपूर्ति निःशुल्क बोर्ड के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्रों यथा जयपुर, पुष्कर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर एवं माउन्ट आबू पर करने हेतु सहमत हैं।
- चरखों की आपूर्ति से पूर्व स्वीकृत नमूने के अनुरूप एक नमूना संभाग स्तर पर बतौर नमूना रखने पर सहमत हैं।
- मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

बोलीदाता का नाम,
हस्ताक्षर एवं सील

राजकुमार खन्ना
प्रभारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जयपुर

(प्रहलाद सिंह नरूका)
लेखाधिकारी

मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज. खादी तथा ग्रामो. बोर्ड
जयपुर

**Annexure-A**

| S.No. | General Technical Specifications of 8 Spindle New Model Charkha |
|---|---|
| 1. | I. Spindle with Bolsters as per BIS Standards<br>II. Frame components of 8-spindle New Model Charkhas as per BIS Standards<br>III. Bottom Drafting Rollers for 8-spindle New Model Charkhas as per BIS standards<br>IV. Spinning Rings used in 8-spindle New Model Charkhas as per BIS standards<br>V. The empanelled charkhas manufacturer shall use only first hand.<br>VI. The New Model Charkha should be 8 spindle.<br>VII. Capable of handling Cotton, Poly and woolan count of yarn 30 to 120.<br>VIII. Spinning Capacity of New Model Charkha should be minimum 750-800 grams in 8 hours.<br>IX. Weight of New Model Charkha : 45 kg (+1 kg/-1 kg)<br>X. Body of the New Model Charkha should be made up of Steel and Iron.<br>XI. Mild Steel Body Frame sheet thickness & 12 gauge<br>XII. Spindle RPM-12 in 1 stroke<br>XIII. Run out of Spindle : Not more than 30 micron<br>XIV. Spindle must be self-lubricated<br>XV. Feeder shaft must be made of stainless steel.<br>XVI. Following gears made up of cast iron for normal spinning 30 to 120 count with 12 rpm speed gear teeth (46,76,22,12,21,24,21*56,76,18) or any combination to achieve the same speed and performance<br>XVII. Branded bearing to be used of SKF/NBC/TATA<br>XVIII. Colour of the New Model Charkha –Green/Sky blue to be painted by water proof spray painting method.<br><br>OTHER FEATURES<br><br>i) Each New Model Charkha should have a unique serial number prefixed with KVIB-Unique Serial Number"<br>ii) KVIC Empanelment |
| | |

बोलीदाता का नाम,
हस्ताक्षर एवं सील

(प्रहलाद सिंह नरूका)
लेखाधिकारी

मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर

राजकुमार खन्ना
प्रभारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जयपुर

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज खादी तथा ग्रामो. बोर्ड
जयपुर

# वित्तीय बोली प्रपत्र

| कार्य का विवरण | संख्या | दरे समस्त करों सहित प्रति नग |
|---|---|---|
| Supply of 8 spindle New Modal charkha at Various Locations in Rajasthan | 540 नग | दरें BOQ प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें। |

**Annexure-B**

**बोलीदाता द्वारा घोषणा/शपथ पत्र**
**(100/– के स्टाम्प पेपर पर)**

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि फर्म को किसी भी अन्य राज्य में किसी संस्था द्वारा Supply of 8 spindle New Modal charkha के संबंध में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए अथवा मेरे हमारे द्वारा दी गई सूचना तथ्य, प्रमाण–पत्र या विवरण आदि अनुबंध अवधि के दौरान झूठी या अपूर्ण पाई जाये, तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्वत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् कर दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(प्रहलाद सिंह नरूका)
लेखाधिकारी

मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर

राजकुमार खन्ना
प्रभारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जयपुर

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज खादी तथा ग्रामो बोर्ड
जयपुर

**Annexure-C**

बोलीदाता द्वारा घोषणा/शपथ पत्र
(100/– के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि फर्म द्वारा राजस्थान राज्य एवं अन्य राज्यों में Supply of 8 spindle New Modal charkha के सम्बन्ध में समस्त आपूर्ति आदेशों की प्रतियॉ लगाई गई है वह सत्य है।

यह घोषणा असत्य पायी जाए अथवा भविष्य में सचिव राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा ऑडिट में अन्यथा पाया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा/हमारा होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(प्रहलाद सिंह नरूका)
लेखाधिकारी

मुकेश कुमार शर्मा
प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण)
राज. खादी ग्रामो. बोर्ड जयपुर

वित्त सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी
राज खादी तथा ग्रामो बोर्ड
जयपुर

राजकुमार खन्ना
प्रभारी अधिकारी (खादी)
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जयपुर

**Annexure A** : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

**Annexure B** : Declaration by Bidders regarding Qualifications

**Annexure C** : Grievance Redressal during Procurement Process

**Annexure D** : Additional Conditions of Contract

अतः प्रशासनिक विभाग अपने अधीन समस्त विभागो, कार्यालयों एवं संगठनो से उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः **Annexure A to D**

**शासन सचिव, वित्त (बजट)**

**Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

**Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

**<u>Declaration by the Bidder</u>**

In relation to my/our Bid submitted to .......................... for procurement of ............................ in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

**Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman Khadi Board.

The designation and address of the Second Appellate Authority is ACS MSME.

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

**FORM No. 1**

**[See rule 83]**

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No .........of ..............

Before the ......................... (First / Second Appellate Authority)

**1.** Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.................... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
.....................................................................................................
...............................................................................................

Place .........................................
Date ..........................................
Appellant's Signature

**Annexure D : Additional Conditions of Contract**

**1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

**2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

**3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of

procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

**परिपत्र क्रमांकः एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011पार्ट।।** **दिनांक :1.3.2013**

जैसा कि आपको विदित है राजस्थान राजपत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013) राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो गये है। समस्त उपापन संस्थाएँ (Procurement Entities) जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभाग, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम, संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय जिसके व्यय की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है, राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसायटी या न्यास या स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय, सम्मिलित है, के द्वारा सामग्री, सेवा, संकर्म (Works) के उपापन (Procurement) के मामलों में उक्त अधिनियम एवं नियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 4.2.2013 को परिपत्र जारी कर अन्य दिशा–निर्देश के साथ अधिनियम के अध्याय–III तथा नियमों के अध्याय VII के तहत अपील अधिकारी नियुक्त कर दिनांक 15.2.2013 तक सूचना प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था।

खेद का विषय है कि आज दिनांक तक भी ज्यादातर विभागों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः पुनः अनुरोध है कि अधिनियम की धारा 3 (2) में उल्लिखित समस्त विभाग/संगठन अपने स्तर पर प्रथम अपील अधिकारी का निर्धारण कर वित्त विभाग को दिनांक 15 मार्च, 2013 तक सूचित करें। यहां यह उल्लिखित करना उपयुक्त होगा कि प्रथम अपील अधिकारी उपापन संस्था से एक स्तर उच्च होना आवश्यक है। द्वितीय अपील अधिकारी राज्य सरकार